



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-26062026-273859
CG-MH-E-26062026-273859

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 412]
No. 412]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/आषाढ 1, 1948
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ASHADHA 1, 1948

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुंबई, 4 जून, 2026

फा. सं. सीओ.डीओआर.आरएयूजी.सं.एस1887/08.08.007/2026-27.— भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (इसके बाद “द आरबीआई अधिनियम” से संबोधित) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, एतद्वारा, इंडियन मर्केटाइल कॉ-ओपरेटिव बैंक लि., लखनऊ को द आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से हटाए जाने का निर्देश देता है।

आर लक्ष्मी कांत राव, कार्यपालक निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./181/2026-27]

RESERVE BANK OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 04th June, 2026

F. No. CO.DOR.RAUG.No.S1887/08.08.007/2026-27.— In exercise of the powers conferred under clause (b) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (hereinafter referred to as “the RBI Act”), the Reserve Bank of India, hereby, directs the exclusion of Indian Mercantile Co-operative Bank Ltd., Lucknow from the second schedule of the RBI Act.

R. LAKSHMI KANTH RAO, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./181/2026-27]